न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद
(पीठासीन अधिकारी मनसुख राम डामोर, आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्याः– 115/2018 वाद
दायर दिनांकः– 06/08/2018
निर्णय दिनांकः– 18/02/2021

अनवान

1. अन्नपुर्णा विधवा राजमल उर्फ नरेन्द्र कुमार ब्राहमण निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
2. अंकित पिता राजमल उर्फ नरेन्द्र कुमार ब्राहमण निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
3. ज्योति पिता राजमल उर्फ नरेन्द्र कुमार ब्राहमण निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
4. जितेन्द्र कुमार पिता दयाशंकर ब्राहमण निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा

वादीगण

विरूद्ध

1. मांगीबाई विधवा दयाशंकर ब्राहमण निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
2. कैलाशचन्द्र पिता दयाशंकर ब्राहमण निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
3. सम्पत पिता दयाशंकर ब्राहमण निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती एवं अंकन

–: निर्णय :–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम गिलुण्ड तहसील रेलमगरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 01 से 03 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमियां आराजी नम्बर 2539, 2540, 2669 कुल किता 03 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। वादपत्र की कलम नम्बर 01 में वर्णित भूमियों में वादी नम्बर 01 पति एवं वादीगण नम्बर 02, 03 के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में नरेन्द्र कुमार अंकित होने के कारण उनका नामान्तकरण वादीगण के नाम पर दर्ज नहीं हो सका । जबकि राजमल उर्फ नरेन्द्र कुमार ग्राम गिलुण्ड का एक ही व्यक्ति है। राजमल उर्फ नरेन्द्र कुमार की मृत्यु अहमदाबाद में दिनांक 08.10.2012 को अहमदाबाद में हो चुकी है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र वादपत्र के साथ प्रस्तुत है वादीगण ने

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पटवार हल्का गिलुण्ड को वादपत्र की कलम नम्बर 01 में वर्णित भूमियों का नामान्तकरण उनके नाम पर खोलने बाबत् कहा गया तो पटवार हल्का गिलुण्ड ने बताया कि आपके पति व पिता का नाम राजस्व अभिलेख में नरेन्द्र कुमार होने के कारण मैं नामान्तकरण नहीं खोल सकता हुँ जिससे सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कराओं। नरेन्द्र कुमार उर्फ राजमल पिता दयाशंकर जाति ब्रहमण निवासी गिलुण्ड में एक ही व्यक्ति है। दयाशंकर के नरेन्द्र कुमार व राजमल नाम से दो अलग अलग पुत्र नहीं है। राजमल का मतदाता पहचान पत्र बन रखा है जिसमें भी राजमल पिता दयाशंकर का नाम भी अकिंत है तथा इस बाबत् ग्राम पंचायत गिलुण्ड से भी तस्दीक ली गई। जिसमें ग्राम पंचायत गिलुण्ड ने भी इस बात की तस्दीक दी कि नरेन्द्र कुमार पिता दयाशंकर तथा राजमल पिता दयाशंकर दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है । जिनकी मृत्यु हो चुकी है। राजमल का राजस्व अभिलेख में नाम नरेन्द्र कुमार गलत अंकन हो जाने के कारण वादीगण सभी राजकीय अनुलाभ नहीं ले पा रहे है तथा इसी कारण वादीगण के नाम पर नामान्तकरण भी निर्णित नहीं हो सकता है। राजमल के पिता दयाशंकर की मृत्यु के उपरान्त राजमल की उम्र कम भी तथा तत्कालीन पटवार हल्का को भी वास्तविक नाम की जानकारी नहीं होने के कारण राजमल का नाम राजस्व अभिलेख में नरेन्द्र कुमार कर दिया। जिससे उक्त नाम राजस्व अभिलेख में सही अंकन कराने बाबत् उक्त वादपत्र प्रस्तुत है। वादी नम्बर 04 का नाम राजस्व कर्मचारियों के द्वारा जितेन्द्र कुमार की बजाय जिनेन्द्र कुमार त्रुटिपुर्ण अकिंत कर दिया । जबकि वादी सं. का नाम जितेन्द्र कुमार पिता दयाशंकर है तथा जितेन्द्र कुमार के सभी राजकीय दस्तावेजों में नाम जितेन्द्र कुमार ही अकिंत हैं । जिससे ग्राम गिलुण्ड में जिनेन्द्र कुमार पिता दयाशंकर व जितेन्द्र कुमार पिता दयाशंकर नाम अंकित फरमाया जावें। वादीगण उनके पति व पिता की मृत्यु के पश्चात् अहमदाबाद में ही निवास करते है। जिससे उन्हें इस त्रुटिपुर्ण अंकन की जानकारी नहीं थी। जिससे उन्होंने नामान्तकरण निर्णित करवाने बाबत् जमाबंदियां प्राप्त की जब पटवार हल्का गिलुण्ड द्वारा उक्त त्रुटिपुर्ण अंकन के कारण नामान्तकरण निर्णित नहीं किये जाने से उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण नम्बर 01 से 03 सहखातेदारन होने के कारण उन्हें पक्षकारान बनाया गया अन्यथा उन्हें प्रतिवादी बनाया गया है। अन्यथा उनके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही जा रही है। उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने का हेतुक आज से 15 दिवस पूर्व बमुकाम गिलुण्ड उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है जब पटवार हल्का गिलुण्ड द्वारा उक्त त्रुटिपुर्ण अंकन के कारण नामान्तकरण नहीं खोलने व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कराने बाबत् कहा गया । अत प्रार्थना वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की नाम की घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जावे कि राजस्व अभिलेख में नरेन्द्र कुमार के बजाय राजमल पिता दयाशंकर तथा जिनेन्द्र कुमार की बजाय जितेन्द्र कुमार पिता दयाशंकर नाम का अकंन फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने स्वीकारात्मक जवाब पेश किया तथा वादी अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्लयू 01 जितेन्द्र कुमार का शपथपत्र एवं दस्तावेज जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी एवं राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, विद्युत बिल, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रतियॉ के प्रस्तुत की गयी अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि रेकार्ड में खातेदार का नाम राजमल पिता दयाशंकर के बजाय नरेन्द्र कुमार पिता दयाशंकर तथा जितेन्द्र कुमार पिता दयाशंकर की बजाय जिनेन्द्र कुमार पिता दयाशंकर त्रुटिपूर्ण अंकित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद पत्र को सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः वादीगण का वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया जाकर ग्राम गिलुण्ड के आराजी नम्बर आराजी नम्बर 2539, 2540, 2669 कुल किता 5 बीघा 12 बिस्वा में अंकित वादी संख्या 01 से 03 के पति व पिता का नाम का नरेन्द्र कुमार पिता दयाशंकर के बजाय राजमल उर्फ नरेन्द्र कुमार पिता दयाशंकर तथा वादी संख्या 04 का नाम जिनेन्द्र कुमार पिता दयाशंकर की बजाय जितेन्द्र कुमार पिता दयाशंकर के नाम से खातेदार काश्ताकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा